

पत्रांक—

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी सिविल सर्जन,  
बिहार।

पटना, दिनांक—

विषय:— COVID 19 के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य में विदेश से आये व्यक्तियों के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संभावित संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 10 मार्च 2020 के बाद आपके जिले में विदेश से आए व्यक्तियों की सूची राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 9693 दिनांक 28.03.2020 द्वारा आपको भेजी गयी है।


COVID-19 के संक्रमण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्रवाई की जाए :-

1. दिनांक 10 मार्च, 2020 के बाद आपके जिले में विदेश से आए सभी व्यक्तियों का सत्यापन कराया जाए। इनके सत्यापन के दौरान यदि कोई COVID-19 के लक्षणों के अनुरूप symptomatic पाया जाता है तो उन्हें जिला अन्तर्गत आवश्यकतानुसार उपर्युक्त स्थानों को चिन्हित कर, लाया जाय एवं इनका Sample एकत्र कर जाँच कराया जाय।
2. उपर्युक्त कंडिका 1 के अतिरिक्त दिनांक 18.03.2020 के बाद विदेश से आए सभी व्यक्तियों का सत्यापन एवं टेस्ट कराया जाना है। सबसे पहले दिनांक 23.03.2020 एवं 22.03.2020 को विदेश से आए व्यक्तियों का Sample लिया जाय। इन्हें भी जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर लाकर sample collect करने की कार्रवाई की जाए। फिर अगले दिन दिनांक 21.03.2020 को आए व्यक्तियों का sample लिया जाएगा। क्रमानुसार यह कार्य दिनांक 18.03.2020 तक विदेश से आए सभी व्यक्तियों का किया जाना है।
3. उपरोक्त व्यक्तियों को चिन्हित स्थानों तक लाने एवं घर वापस भेजने में Social Distancing के मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जाए। इस हेतु निजी क्षेत्रों में कार्यरत

एयुलेंस की सेवा भी भाड़े पर ली जा सकती है। सभी प्रकार के वाहनों का उपयोग करने के पूर्व एवं उपयोग के पश्चात् इन्हें अनिवार्य रूप से disinfect किया जाए।

4. सभी सिविल सर्जन आकलन कर आवश्यकतानुसार VTM, BMSICL से प्राप्त कर लेंगे।
5. 10 मार्च 2020 के बाद विदेश से आए सभी व्यक्तियों को उनके विदेश आगमन की तिथि से 28 दिन तक Home Quarantine में Strict अनुश्रवण में रखा जाए।
6. Sample का Collection जिला स्तर पर किया जायगा एवं इन्हें जाँच हेतु संबंध संस्थानों को भेजा जाएगा।
7. जो Symptomatic हैं उन्हें जिला स्तर पर Isolation Centre में रखा जाए।
8. COVID-19 के Positive व्यक्तियों के इलाज हेतु जिला के संबंध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में इलाज हेतु भेजा जाएगा तथा पूर्व से निर्धारित Protocol के अनुसार उनका सघन इलाज किया जाए।
9. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 6/अप0स0को0 दिनांक 27.03.2020 को तदनुसार विलोपित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

  
(संजय कुमार)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 08(अप.स.को.)

पटना, दिनांक - 28.03.2020

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव